[2008] 2 एस.सी.आर. 977

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

बनाम

मनजीत

(सिविल अपील संख्या-1319/2008)

15 फरवरी, 2008

(डाॅ. अरिजित पसायत एवं पी. सथसिवम, जे.जे.)

भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959; धारा 63 पेंशन विनियम; विनियम 2, 3 और 40 (3);

मृत कर्मचारी की आश्रित बेटी को पारिवारिक पेंशन का दावा- अभिनिर्धारित; मृतक कर्मचारी की आश्रित बेटी ने न तो निर्धारित समयावधि के भीतर पारिवारिक पेंशन के दावे का विकल्प चुना और न ही उसने पेंशन विनियमों के विनियम 3 के संदर्भ में योगदान वापस किया- इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा मृत कर्मचारी की बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश देना उचित नहीं था- पारिवारिक पेंशन- हकदार।

प्रत्यर्थी का पिता, अपीलार्थी बैंक का कर्मचारी, ड्यूटी के दौरान मारा गया। मृतक की विधवा को अनुकंपा के आधार पर बैंक में नियुक्ति दी गई।

बाद में, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63(2) के संदर्भ में और विरचित पेंशन विनियमों के अनुसार, प्रत्यर्थी मृत कर्मचारी की बेटी ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी बैंक द्वारा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पेंशन के लिए विकल्प को अधिसूचित तिथि से 120 दिवसों के भीतर प्रयोग किया जाना आवश्यक था; और चूंकि उसकी मां जीवित थी, केवल वह ही पारिवारिक पेंशन अनुदान के लिए पात्र थी। प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत।

अपीलार्थी बैंक ने तर्क दिया कि पेंशन विनियमों के विनियम 40(3) के संदर्भ में जहां किसी अवयस्क को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, तो यह अवयस्क के संरक्षक को देय होगी। किसी भी समय, यहाँ तक कि अभ्यावेदन में भी, प्रत्यर्थी ने अपनी मां, मृत कर्मचारी की विधवा के कथित पुनर्विवाह के बारे में संकेत नहीं दिया था। मात्र पहली बार रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया कि वह अपनी मां के साथ रह रही थी।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 विनियम 3 के संदर्भ में अधिसूचित तिथि से 120 दिवसों की अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग किया जाना आवश्यक था और 120 दिवसों

की उक्त अवधि के बाद 60 दिवसोंं के भीतर योगदान वापस करने की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी की मां ने अपनी स्वयं की पेंशन का विकल्प चुना तथा पारिवारिक पेंशन का नहीं (पैरा-6 व 7) [980-एच; 981-ए-बी]

जयसिंह बी. चौहान और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (2005) 6 एस.सी.सी. 262 तथा *मैसर्स पंकज जैन एजेंसीयां बनाम भारत संघ एवं अन्य* (1994) 5 एससीसी 198-आधार माना।

1.2 उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि विकल्प के प्रयोग के बारे में प्रत्यर्थी को कोई सूचना नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से भी यह सही नहीं है। प्रत्यर्थी की मां बैंक में सेवारत थी और वास्तव में उसने अपनी स्वयं पेंशन के लिए विकल्प का प्रयोग किया था, न कि पारिवारिक पेंशन के लिए। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश दिया जाना उचित नहीं था। (पैरा-9 व 10) [983-बी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या-1319/2008

सिविल रिट याचिका संख्या-19475/2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 15.09.2005 से

अपीलार्थी की ओर से विष्णु मेहरा और बी.के. सतीजा

प्रत्यर्थी की ओर से सुनील अत्री और चंद्रशेखर आश्री ।

डाॅ. अरिजित पसायत, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (संक्षेप में 'विनियम') के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन देने का हकदार माना गया।

पृष्ठभुमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

प्रत्यर्थी के पिता स्वर्गीय जय सिंह, दिनांक 19.11.1985 को अपीलार्थी-बैंक में सेवा में शामिल हुए। कुछ महीने बाद यानी दिनांक 4.6.1986 को ड्यूटी के दौरान उसे मार दिया गया। दिनांक 11.9.1986 एवं दिनांक 1.10.1986 को जयसिंह की विधवा, श्रीमती बीरमति प्रत्यर्थी की माता को स्वर्गीय जय सिंह की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान किया गया। दिनांक 29.12.1986 को उपरोक्त श्रीमती बीरमति को अनुकंपा के आधारों पर अपीलार्थी-बैंक में रिकॉर्ड कीपर-सह-गोदाम कीपर के रूप में नियुक्ति दी गई। दिनांक 23.3.1996 को भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ओ) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विनियम बनाए गए। विनियमों में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के कर्मचारियों

के लाभ के लिए पेंशन निधि की स्थापना और रखरखाव का प्रावधान किया गया। विनियमों को दिनांक 23.3.1996 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा विनियम दिनांक 29.09.1995 से प्रभावी थे।

दिनांक 12.8.2003 को प्रत्यर्थी वयस्क हो गई। दिनांक 16.9.2003 को उसने स्वर्गीय जय सिंह की पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। दिनांक 1.10.2003 को अपीलार्थी-बैंक ने कई आधारों पर पारिवारिक पेंशन के दावे को खारिज कर दिया; (i) पारिवारिक पेंशन विधवा को उसकी मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक देय थी और (ii) मृत कर्मचारी के पात्र आश्रित द्वारा पेंशन के लिए विकल्प अधिसूचित तिथि से 120 दिवसों के भीतर यानी दिनांक 20.7.1996 को या उससे पहले देना आवश्यक था। दूसरा अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2003 को दिया गया। पुनः दिनांक 11.11.2003 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया गया कि चूंकि उसकी माँ जीवित थी, केवल वह पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए पात्र थी, बशर्ते उसके द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई।

3. प्रत्यर्थी को पारिवारिक पेंशन देने के लिए अपीलार्थी-बैंक को निर्देश देने हेतु एक रिट याचिका दायर की गई। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, खण्डपीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि उसे पारिवारिक पेंशन देने से अवैध रूप से इनकार कर दिया गया।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी-बैंक के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि विनियमो का विनियम 3 उन कर्मचारियों के मामलों से संबंधित है जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह भी निवेदन किया गया कि विनियम 40 (3) के संदर्भ में जहां एक अवयस्क को विनियम के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाती है, वह अवयस्क के संरक्षक को देय होगी। किसी भी समय, यहाँ तक कि अभ्यावेदन में भी, प्रत्यर्थी ने बीरमति के कथित पुनर्विवाह के बारे में कोई संकेत नहीं दिया था। मात्र पहली बार रिट याचिका में ऐसा आधार लिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि वह श्रीमति बीरमति के साथ रह रही थी।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

विनियम 3 इस प्रकार है:

> "(1) निधि का सदस्य बनने के लिए अधिसूचित तिथि से एक सौ बीस दिवसों ं के भीतर लिखित रूप में एक विकल्प का प्रयोग करना; और
>
> (2) खंड (बी) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिवसों ं की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिवसों ं के भीतर भविष्य निधि में बैंक के योगदान की पूरी राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित भविष्य निधि खाते के निपटारे की तारीख से

बैंक को उक्त राशि की वापसी की तारीख तक उक्त राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस करना।"

6. विनियम 40(3) भी प्रासंगिक है और उस प्रावधान का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। विनियम 3 के संदर्भ में विकल्प को अधिसूचित तिथि से 120 दिवसों की अवधि के भीतर प्रयोग किया जाना आवश्यक था और उपरोक्त 120 दिवसों की अवधि के बाद 60 दिवसों के भीतर योगदान वापस करने की आवश्यकता थी।

7. प्रत्यर्थी की मां ने अपनी स्वयं की पेंशन का विकल्प चुना, न कि पारिवारिक पेंशन का।

विनियम 40(3) इस प्रकार है कि:

"जहां इस विनियम के तहत किसी अवयस्क को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, यह अवयस्क की ओर से संरक्षक को देय होगी"

8. *जय सिंह बी. चौहान और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य* (2005 (6) एससीसी 262), में निम्नानुसार माना गया-

"6. विवाद का निपटारा करने के उद्देश्य से विनियमों के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

7. ‘‘अधिसूचित तिथि’’ को विनियम 2 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

‘‘अधिसूचित तिथि’’ का अर्थ वह तिथि है जिस दिन ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते हैं"

8. विनियम 1 के संदर्भ में, विनियमों को आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माना गया था।"

9. विनियम 3, जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः

‘‘3. ये विनियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो,-

xxx xxx xxx

(3) (ए) अधिसूचित तिथि से पहले बैंक की सेवा में हैं और अधिसूचित तिथि को या उसके बाद भी बैंक की सेवा में बने रहे; और

(बी) निधि का सदस्य बनने के लिए अधिसूचित तिथि से एक सौ बीस दिवसों के भीतर लिखित रूप में एक विकल्प का प्रयोग करें; और

(सी) विनियम 5 के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित निधि के क्रेडिट में बैंक के पूरे योगदान को उस पर अर्जित

ब्याज सहित स्थानांतरित करने हेतु बैंक के भविष्य निधि ट्रस्ट को अधिकृत करे।"

10. विनियम 3(3)(बी) के अनुसार निधि का सदस्य बनने के लिए अधिसूचित तिथि से एक सौ बीस दिवसों के भीतर लिखित रूप में विकल्प का प्रयोग किया जाना था।

11. विनियम 3(3)(सी) भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें विनियम 5 के तहत इस उद्देश्य के लिए गठित निधि के क्रेडिट में बैंक के संपूर्ण योगदान को उस पर अर्जित ब्याज के साथ स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, और हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के भविष्य निधि की राशि से अधिकृत ट्रस्ट की आवश्यकता थी।

xx xx

14. *मैसर्स पंकज जैन एजेंसियां बनाम भारत संघ और अन्य,* (1994 (5) एससीसी 198) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"17. वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से धारा 25(1) द्वारा निर्धारित प्रकाशन के तरीके का अनुपालन किया गया था। अधिसूचना दिनांक 13.2.1986 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के प्रभाव के अनुसार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

(श्रीनिवासन मामला 1987 (1) एससीसी 658,672: एआईआर 1987 एससी 1059, 1067):

"जहां मूल विधान मौन है, लेकिन अधीनस्थ विधान स्वयं प्रकाशन के तरीके को निर्धारित करता है, प्रकाशन का ऐसा तरीका पर्याप्त हो सकता है, यदि वह युक्तियुक्त हो। यदि अधीनस्थ विधान प्रकाशन के तरीके को निर्धारित नहीं करता है या यदि अधीनस्थ विधान स्पष्ट रूप से प्रकाशन का अनुचित तरीका निर्धारित करता है, वह तभी प्रभावी होगा जब इसे पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त आधिकारिक चैनल, अर्थात, आधिकारिक राजपत्र या प्रकाशन के किसी अन्य यथोचित तरीके के माध्यम से प्रकाशित किया जाए।

18. इसलिए, हम, इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद अभी भी कानून को ज्ञात करने में विफल रहे और इसलिए, अधिसूचना ने संचालन और प्रवर्तनीयता के तत्वों को प्राप्त नहीं किया है। श्रीगणेश का यह तर्क अस्वीकार्य है।"

9. उच्च न्यायालय का यह कहना उचित नहीं था कि विकल्प के प्रयोग के बारे में प्रत्यर्थी को कोई सूचना नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से भी यह सही नहीं है। प्रत्यर्थी की माँ बैंक में कार्यरत थी और वास्तव में उसने

पारिवारिक पेंशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की पेंशन के लिए विकल्प का प्रयोग किया था।

10. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया जाना न्यायोचित नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित फैसले को अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एस.के.एस.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अणिमा दाधीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।